न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 363/2025 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/363**
दायर दिनांक :– 12.12.2025 | **निर्णय दिनांक :– 10.04.2026**

1. भीमराज पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सगराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. जगमालराम पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. ठाकराराम पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भवरलाल पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. भागीरथ पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मालाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. राजूराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सुगनी पत्नी बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. चेनाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी लोहावट तहसील लोहावट जिला फलोदी
7. पपूदेवी पत्नी पूनाराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. मांगीलाल पुत्र मूमराज जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. पंकज खिलेरी पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. बालकिशन पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. भरमलराम पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. भंवरलाल पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. मालराम पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. सुरताराम पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवसी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 162/3 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/5 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, प्रार्थी

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 162/4 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/6 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 162/2 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 917/591 रकबा 4.8543 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 918/591 रकबा 1.2241 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591 रकबा 6.0784 हैक्टेयर मौजा सोनलपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार बाप ने क्रमांक 2025/49630/9, 10, 11, 12 दिनांक 17.11.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 19.11.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थित में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण ने पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि की दिनांक 19.11.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 15 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त कर बाद सुनवाई नेखमबदी का आदेश जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 162/3 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/5 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/6 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 917/591 रकबा 4.8543 हैक्टेयर,

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 918/591 रकबा 1.2241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591 रकबा 6.0784 हैक्टेयर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 19.11.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 162/3 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/5 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/6 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 917/591 रकबा 4.8543 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 918/591 रकबा 1.2241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591 रकबा 6.0784 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 19. 11.2025 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 162/3 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/5 रकबा 6. 0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591/6 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 917/591 रकबा 4.8543 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 918/591 रकबा 1.2241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591 रकबा 6.0784 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 19.11.2025 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 2000/– प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बाप